

## अनुसूची VII

सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (MITC)/मुख्य तथ्य का विवरण (KFS)  
(व्यक्तिगत आवासीय ऋण (हाउसिंग लोन) / गैर-आवासीय ऋण (नॉन हाउसिंग लोन)के लिए)

आवासीय (हाउसिंग) / गैर-आवासीय ऋण (नॉन हाउसिंग लोन) के प्रमुख नियम और शर्तें \_\_\_\_\_ (उधारकर्ता) और आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बीच इस प्रकार सहमति प्राप्त हैं:

1. ऋण: स्वीकृत राशि : रु. \_\_\_\_\_/

2. ब्याज

(i) टाइप (निश्चित या अस्थायी):

(ii) ब्याज प्रभार्य एचएफएल आरपीएलआर +/- \_\_\_\_\_% प्रति वर्ष = \_\_\_\_\_% प्रति वर्ष

a. इस समझौते के निष्पादन की तिथि के अनुसार एचएफएल आरपीएलआर \_\_\_\_\_% है

सभी फ्लोटिंग दर वाले ऋणों में ब्याज दर बेंचमार्क दर (आरपीएलआर) में परिवर्तन के अधीन होती है, जिसके कारण ईएमआई में बदलाव या शेष ऋण अवधि में वृद्धि या दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो प्रत्येक मामले पर निर्भर करता है और ऐसे किसी भी परिवर्तन से पहले ऐसे बदलावों की सूचना दी जाएगी।

b. पूरे कार्यकाल के लिए निर्धारित ब्याज दर (ROI) चुनने वाले ऋणों में, ऐसे सभी ऋणों में लागू ब्याज दरें बेंचमार्क दर (RPLR) में परिवर्तन के अधीन होती हैं, जो ऋण अवधि के हर 3 साल पूरे होने के बाद प्रभावी होंगी। इससे ईएमआई में या शेष ऋण अवधि में या दोनों में ही मामला-दर-मामला आधार पर भिन्नता आ सकती है।

c. जिन ऋणों में ब्याज दर "3 वर्ष के लिए निर्धारित" के रूप में चुनी गई है, उनमें ब्याज दर को मंजूरी के समय ब्याज दर पर या उसी अंतर को बनाए रखते हुए, जो भी कम हो, 3 वर्ष पूरे होने के बाद फ्लोटिंग दर में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

(iii) अधिस्थगन या सन्निडी:

(iv) ब्याज के पुनर्निर्धारण की तिथि:

(v) दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो:

: \_\_\_\_\_संलग्न टैरिफ अनुसूची के अनुसार 24% प्रति वर्ष

(vi) ब्याज दर में परिवर्तन के संचार के तरीके: पत्रों / डाक (मेल) के माध्यम से/एसएमएस/व्हाट्सएप के माध्यम से/ग्राहक मोबाइल ऐप के माध्यम से

3. वार्षिक प्रतिशत दर (APR) : \_\_\_\_\_

4. किस्त के प्रकार : मासिक

5. ऋण अवधि : << वर्षों में >>

6. ऋण का उद्देश्य :

6.1 (ए) निधि का अंतिम उपयोग:

आपके द्वारा एचएफएल को प्रदान की गई घोषणा/वचनपत्र का उपयोग केवल इसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा

" \_\_\_\_\_ " स्वीकृत किया जा रहा है, ऋण के अंतर्गत धनराशि का उपयोग प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा

ऋण की अवधि के दौरान किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ऋण का उपयोग किसी भी रूप में किसी भी अवैध और/या असामाजिक और/या सट्टेबाजी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

7. शुल्क और अन्य प्रभार: कृपया देखें: RBI टैरिफ शेड्यूल/MITC द्वारा जारी मॉडल MITC के अनुसार सभी शीर्षकों को भी संलग्न करें। नोट: उपरोक्त टैरिफ शेड्यूल में किए गए परिवर्तन AHFL वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे और हमारी शाखा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे, इसी तरह हमारी रूपांतरण योजना में किए गए परिवर्तन हमारी शाखाओं के पास उपलब्ध होंगे। ब्याज दरों या लागू शुल्क/प्रभारों में भविष्य में होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में उधारकर्ताओं को स्थानीय भाषा में पहले ही सूचित कर दिया जाएगा और शर्तों में ऐसे बदलाव उधारकर्ताओं को अग्रिम सूचना देने के बाद संभावित तिथियों से लागू किए जाएंगे।

8. ऋण के लिए सुरक्षा / संपार्श्विक

- बंधक : \_\_\_\_\_
- गारंटी : \_\_\_\_\_
- अन्य सुरक्षा : \_\_\_\_\_

9. संपत्ति/उधारकर्ताओं का बीमा

i.

ii.

iii.

iv.

v.

ग्राहक को बीमा पॉलिसी की प्रति लेने की सलाह दी जाती है जिसमें बीमा पॉलिसी की विशेषताएं दी गई हैं:

#### 10. ऋण के संवितरण की शर्तें:

विधिवत स्वीकृत ऋण स्वीकृति पत्र में दर्शाई गई पूर्व शर्तों को पूरा करना होगा।

#### 11. ऋण और ब्याज की चुकौती:

आपके ऋण के लिए ईएमआई रु.

ईएमआई देय तिथि

भुगतान की जाने वाली किश्तों की संख्या

\_\_\_\_\_ है। वर्ष और ईएमआई = \_\_\_\_\_ प्रति वर्ष  
हर महीने का \_\_\_\_\_ दिन है।  
\_\_\_\_\_ महीने हैं।

अनुमोदन पत्र में गणना और दर्शाए गए EMI की गणना कैलेंडर वर्ष में 12 महीनों के आधार पर की जाती है, हालांकि पूरे ऋण चुकौती अवधि में ऋण ब्याज की गणना हर साल 365 दिनों के आधार पर की जाती है। इसका उद्देश्य ग्राहक को आंशिक भुगतान करने पर लाभ प्रदान करना और ऋण की पूर्ण अवधि से पहले बीच में आंशिक पूर्व-भुगतान या पूर्व-समापन के मामले में ब्याज बचाना है, जहां ऐसे आंशिक भुगतान करने के महीने के दौरान पूरे किए गए दिनों के अनुसार ब्याज की गणना की जाएगी। टूटी हुई अवधि के लिए ब्याज गणना में इस अंतर के परिणामस्वरूप अंतिम ईएमआई राशि नियमित ईएमआई से अधिक हो सकती है या इस टूटे हुए अवधि के लिए अंतिम किस्त के रूप में अतिरिक्त भुगतान करने के लिए ईएमआई राशि का एक अतिरिक्त भाग हो सकता है, जिसे स्वीकार किया जाता है और इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करके उधारकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

उधारकर्ता और AHFL के बीच निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले ऋण समझौते की शर्तों में बदलाव के अधीन, ब्याज दर/EMI/ऋण अवधि/ शुल्क या प्रभार में परिवर्तन संभावित होंगे जिनको सूचना के बाद भविष्य की तारीख से लागू किसी भी ऐसे कार्यान्वयन से पहले पत्रों और/या मेल/एसएमएस/व्हाट्सएप/ग्राहक मोबाइल ऐप के माध्यम से सूचित किया जाएगा और AHFL की वेबसाइट <https://www.aadharhousing.com/> और शाखा कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाएगा। यदि ऐसा परिवर्तन ग्राहक के लिए नुकसानदेह है, तो उधारकर्ता के पास 60 दिनों के भीतर निम्नलिखित विकल्प होंगे: a) ऋण को फिक्स्ड से फ्लोटिंग या इसके विपरीत स्विच/कवर करना या b) शेष ऋण अवधि को समान या कम रखने के लिए EMI राशि बढ़ाना या c) बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या ब्याज का भुगतान किए ऋण खाते को पूर्व-बंद/आंशिक रूप से चुकाना।

#### 12. अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) दस्तावेज़: उधारकर्ता एनएचबी/आरबीआई द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार ऋण की अवधि के दौरान एचएफएल को केवाईसी फिर से जमा करने के लिए जिम्मेदार है। [check its Placing. It should be like Point 11, 13, 14 etc and BOLD]

#### 13. अतिदेय की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली संक्षिप्त प्रक्रिया:

- ईसीएस/एसीएच/ऑटो डेबिट या चेक बाउंस होने के लिए जनादेश के अस्वीकार के बाद ऋणी/सह-उधारकर्ता को टेलीकॉल करना।
- ऋणी/सह-उधारकर्ता/गारंटर के पते पर क्षेत्र का दौरा(फील्ड विजिट) /संग्रहण अधिकारी/शाखा प्रबंधक के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त दौरा
- ऋण खाते के एनपीए या क्रॉनिक मामले के रूप में डिफॉल्ट और घोषित होने की स्थिति में, निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 और/या वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI) और/या किसी अन्य लागू कानून के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिवक्ता के माध्यम से ऋण वापसी नोटिस और कानूनी नोटिस भेजा जाएगा, जो AHFL द्वारा नियुक्त एजेंटों के माध्यम से ऋण वसूली के लिए केस-दर-केस आधार पर शुरू किया जाएगा। एचएफएल के पास पॉलिसी के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य से गिरवी रखी गई संपत्ति पर जाने/प्रवेश करने का और ऋण ईएमआई बकाया के संग्रह के उद्देश्य से संपत्ति या सभी उधारकर्ताओं या उनके अन्य ज्ञात पते पर जाने का अधिकार सुरक्षित है और इसे उधारकर्ताओं द्वारा स्वीकार और सहमत किया जाता है।

#### 14. वह दिनांक, जिस दिन वार्षिक बकाया शेष विवरण जारी किया जाएगा

ग्राहकों के अनुरोध के आधार पर, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बकाया शेष विवरण 30 अप्रैल के बाद जारी किया जाएगा। ग्राहक से अनुरोध की तारीख से 15 कार्य दिनों के भीतर, टैरिफ अनुसूची के अनुसार शुल्क के भुगतान के अधीन।

#### 15. ग्राहक सेवाएं:

- कार्यालय/शाखा में मिलने का समय सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक  
शनिवार सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक (महीने के दूसरे शनिवार को बंद)
  - ग्राहक सेवा के लिए: आपके ऋण खाते से संबंधित प्रश्नों के मामले में, आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800 3004 2020 पर संपर्क कर सकते हैं या हमें इस ईमेल पर लिख सकते हैं: [customercare@aadharhousing.com](mailto:customercare@aadharhousing.com).
  - और इसप्रकार समय-सीमा सहित निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया:
- लेखा विवरण (एसओए) / फोरक्लोज़र स्टेटमेंट /दस्तावेज़ की सूची (एलओडी)/पुनर्भुगतान अनुसूची या कोई अन्य विवरण।**  
टैरिफ अनुसूची के अनुसार शुल्क के भुगतान के अधीन T+20 दिनों के भीतर लिखित अनुरोध पर खातों का विवरण (एसओए) / फोरक्लोज़र स्टेटमेंट / दस्तावेज़ की सूची (एलओडी) / पुनर्भुगतान अनुसूची प्रदान की जाती है। (कृपया इस तरह के अनुरोध को संसाधित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के लिए AHFL की वेबसाइट <https://www.aadharhousing.com/> देखें।)
  - शीर्षक दस्तावेजों की फोटो कॉपी**  
शीर्षक दस्तावेजों की प्रतिलिपि अनुरोध पर 30 दिनों के भीतर टैरिफ अनुसूची में निर्धारित प्रभावी आधार पर प्रदान की जाती है।
  - मूल दस्तावेज़ जारी किए गए**  
ऋण खाते के पूर्ण पुनर्भुगतान/निपटान के पश्चात 30 दिनों की अवधि के भीतर सभी मूल संपत्ति दस्तावेज जारी कर दिए जाएंगे, साथ ही संपत्ति पर लगाए गए किसी भी शुल्क को भी जारी कर दिया जाएगा। विस्तृत प्रक्रिया के लिए कृपया <https://www.aadharhousing.com/> देखें।

#### IV. ऋण बंद होने पर पूर्व भुगतान और दस्तावेजों की वापसी

ऋण फोरक्लोज़र स्टेटमेंट जारी करने की प्रक्रिया के अनुसार शाखाओं में प्रस्तुत लिखित अनुरोध के माध्यम से पूर्व भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और टैरिफ अनुसूची के अनुसार शुल्क के भुगतान के अधीन, इसे T + 20 दिनों के भीतर प्रदान किया जाएगा। ऋण फोरक्लोज़र स्टेटमेंट के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने और ऋण बंद होने के बाद मूल संपत्ति के दस्तावेजों को सौंपने की प्रक्रिया - इसपर विस्तृत प्रक्रिया के लिए कृपया कंपनी की वेबसाइट <https://www.aadharhousing.com/> के अनुभाग ग्राहक संबंध - AHFL नीतियाँ और कोड को देखें।

ऋणबंद होने पर मूल दस्तावेजों को वापस करने की प्रक्रिया में भुगतान की प्राप्ति और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 30 कार्य दिवसों की आवश्यकता होगी।

**नोट:** EMI बकाया की सिस्टम गणना के कारण AHFL महीने की 25 तारीख के बाद कोई भी पूर्व-भुगतान (भाग या पूर्ण) स्वीकार नहीं करेगा। महीने की 25 तारीख के बाद चेक के माध्यम से प्राप्त सभी आंशिक भुगतानों पर उसी महीने के लिए नया फोरक्लोज़र पत्र जारी करने पर अगले महीने विचार किया जाएगा, हालांकि, AHFL महीने की 25 तारीख के बाद पूर्व-भुगतान (आंशिक या पूर्ण) स्वीकार करेगा, यदि उधारकर्ता डिमांड ड्राफ्ट / नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) / रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) या किसी अन्य ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से सीधे AHFL के खाते में भुगतान करता है और भुगतान का प्रमाण प्रदान करता है, तो AHFL इस ऋण समझौते की शर्तों में उधारकर्ताओं को अग्रिम सूचना प्रदान करने के बाद किसी भी वैध कारणों से पुनर्भुगतान में तेजी लाने या ऋण को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

#### V. संचार पते और संपर्क विवरण का अद्यतन/संशोधन

ग्राहक को संपर्क नंबर में किसी भी बदलाव के बारे में एएचएफएल को सूचित करना होगा। और पता इस दौरान एएचएफएल को प्रस्तुत किया गया

ऋण की प्रोसेसिंग, मौजूदा जानकारी में कोई भी बदलाव ग्राहक को एएचएफएल को लिखित रूप में देना होगा किसी भी परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर। पते के विवरण में किसी भी अपडेट/परिवर्तन के लिए, ग्राहकों को इसे साझा करना होगा नए पते के लिए वैध केवाईसी दस्तावेज़। जब तक ग्राहकों से ऐसे नए अनुरोध और विवरण प्राप्त नहीं होते एएचएफएल रिकॉर्ड में अद्यतन, एएचएफएल से ग्राहकों को सभी संचार मौजूदा पते और/या पर भेजे जाएंगे

केवल संपर्क नंबर.

## 16. शिकायत निवारण तंत्र:

आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल) नियामक मानदंडों, बोर्ड/शीर्ष प्रबंधन द्वारा अनुमोदित नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं की अवसंरचना के भीतर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने और ग्राहक को संतुष्ट करने का प्रयास करता है।

एएचएफएल एक विकेन्द्रीकृत तरीके से संचालित होता है, जिसमें प्रत्येक शाखा, शाखा प्रबंधक/शाखा प्रभारी के नियंत्रण में होती है, जो क्लस्टर प्रबंधक और फिर क्षेत्रीय व्यापार प्रमुख को रिपोर्ट करेगा, जो कॉर्पोरेट कार्यालय के संबंधित कार्यात्मक प्रमुखों को रिपोर्ट करेगा।

### शिकायत निवारण प्रक्रिया का प्रकाशन

एएचएफएल की शिकायत निवारण नीति वेबसाइट <https://www.aadharhousing.com/> और इसके सभी कार्यालयों/शाखाओं में भी उपलब्ध है।

### शिकायत निवारण प्रक्रिया

#### चरण I

- ग्राहक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए शाखा के शाखा प्रबंधक के पास लिखित रूप में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- शाखा द्वारा रखे गए रजिस्टर में भी शिकायत की प्रविष्टि करके भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- ग्राहक अपनी शिकायत [Customercare@aadharhousing.com](mailto:Customercare@aadharhousing.com) पर दर्ज करा सकते हैं या हमारे टोल-फ्री नंबर 180030042020 पर कॉल कर सकते हैं।

ग्राहक को शिकायत प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के भीतर एसएमएस के माध्यम से पावती और शिकायत की संदर्भ संख्या या स्पष्टीकरण के साथ जवाब दिया जाएगा।

ग्राहक की शिकायत के जवाब/स्वीकृति में उस अधिकारी का नाम और पदनाम शामिल होगा जो शिकायत का समाधान करेगा। यदि शिकायत को AHFL के निर्धारित टेलीफोन हेल्पडेस्क या ग्राहक सेवा नंबर पर फोन के माध्यम से रिले किया जाता है, तो ग्राहक को एक शिकायत संदर्भ संख्या प्रदान की जाएगी और उसे उचित समय के भीतर प्रगति के बारे में सूचित किया जाएगा।

#### चरण II

अगर ग्राहक को उपरोक्त एक सप्ताह की समय सीमा के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता है या वह ब्रांच द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो ग्राहक 7 दिनों के बाद शिकायत/अभियोग को पंजीकृत कार्यालय, बेंगलुरु में, AHFL के ग्राहक सेवा अधिकारी/शिकायत निवारण अधिकारी को संबोधित पत्र द्वारा या ईमेल के माध्यम से बढ़ा सकता है, जिसे यहां भेजा जा सकता है:

#### ग्राहक सेवा अधिकारी / शिकायत निवारण अधिकारी

आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय- दूसरी मंजिल, नंबर 3, जेवीटी टावर्स, 8वीं ए मेन, रोड, संपांगी राम नगर, हडसन सर्कल, बेंगलुरु, कर्नाटक- 560027। ईमेल आईडी:-

[Grievanceredressal.officer@aadharhousing.com](mailto:Grievanceredressal.officer@aadharhousing.com)

मामले की जांच करने के बाद, कंपनी ग्राहक को अपना अंतिम जवाब भेजेगी या बताएगी कि हमें जवाब देने के लिए अधिक समय क्यों चाहिए और शिकायत प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर ऐसा करने का प्रयास करेगी और उसे सूचित किया जाना चाहिए कि यदि वह अभी भी संतुष्ट नहीं है तो उसे अपनी शिकायत पर आगे कैसे कदम उठाने चाहिए।

#### चरण III

अगर शिकायतकर्ता को कंपनी से एक महीने के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है या प्राप्त जवाब से असंतुष्ट है, तो शिकायतकर्ता राष्ट्रीय आवास बैंक के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकता है, जो अपनी शिकायतें एनएचबी की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज करके या नीचे दिए गए विवरण के साथ पोस्ट के माध्यम से राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली को भेज सकता है:

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), (शिकायत निवारण कक्ष) पर्यवेक्षण विभाग, चौथी मंजिल, कोर 5-ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003।

[www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) लिंक: <https://grids.nhbonline.org.in>

ऑफलाइन शिकायत करने का प्रारूप <http://www.nhb.org.in/Grievance-RedressalSystem/Lodging-Complaint-Against-HFCs-NHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf> लिंक पर उपलब्ध है।

उपरोक्त विवरण इसके सभी कार्यालयों/शाखाओं और एएचएफएल की वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हैं।

#### बीमा ग्राहकों का शिकायत निवारण

AHFL के पास बीमा व्यवसाय के लिए भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) के साथ कॉर्पोरेट एजेंट (संयुक्त) का पंजीकरण है। यह बीमा से संबंधित शिकायतों के निवारण के संबंध में आईआरडीआई विनियमों का पालन सुनिश्चित करेगा। AHFL के वे कार्यालय जहां AHFL द्वारा बेचे गए बीमा उत्पादों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, वे संदर्भ संख्या के साथ शिकायत की पावती देंगे और संबंधित बीमा कंपनी के माध्यम से ऐसी शिकायत प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर उसका निवारण करने की सुविधा प्रदान करेंगे।

यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है या ग्राहक 30 दिनों के भीतर प्रदान किए गए समाधान से असंतुष्ट है, तो वह <https://bimabharosa.irdai.gov.in/> पर IRDAI के साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है या [complaints@irdai.gov.in](mailto:complaints@irdai.gov.in) पर ईमेल कर सकता है / या टोल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल कर सकता है। इस बात पर सहमति है कि ऋण की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, पक्षकार उनके द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले ऋण और अन्य सुरक्षा दस्तावेजों का संदर्भ लेंगे और उन पर भरोसा करेंगे।

इस प्रकार से यह सहमति दी जाती है कि ऋण के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, इसके पक्षकार ऋण और उनके द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले अन्य सुरक्षा दस्तावेजों का संदर्भ लेंगे और उन पर भरोसा करेंगे।

टैरिफ अनुसूची

शुल्क प्रकार	राशि
लॉगिन शुल्क (ऋण आवेदन के साथ भुगतान अप्रतिदेय है)	3500 रुपये तक प्लस लागू जीएसटी (ऋण आवेदन के रद्दीकरण/अस्वीकृति पर गैर-वापसी योग्य)
दस्तावेज प्रभार	₹.2000/- से ₹.5000/- तक और लागू जीएसटी (ऋण स्वीकृति राशि स्लैब पर प्रभार भिन्न होता है)
कानूनी, मूल्यांकन और तकनीकी प्रभार	₹. 3000/- से ₹. 5800/- तक और लागू जीएसटी (ऋण स्वीकृति राशि स्लैब पर प्रभार भिन्न होता है)
प्रशासनिक शुल्क (दस्तावेजीकरण, कानूनी मूल्यांकन, तकनीकी और सीईआरएसआई शुल्क शामिल - जैसा लागू हो)	होम लोन/टॉप अप - ₹. 5100 तक या 1.5% और स्वीकृत राशि पर लागू जीएसटी, जो भी अधिक हो एलएपी/एनआईपी/प्रोजेक्ट लोन - ₹.5100/- तक या 2% और स्वीकृत राशि पर लागू जीएसटी, जो भी अधिक हो
बाद के तकनीकी सत्यापन (केवल निर्माण मामलों में)	₹.500/- और लागू जीएसटी
चेक/ईसीएस/प्रत्यक्ष डेबिट/एसीएच बाउंस (प्रति लिखत/लेनदेन)	₹.500/-
किश्त (EMI/PEMI) के भुगतान में देरी/चूक या स्वीकृत ऋण/ऋण समझौते की किसी भी शर्त व नियम के उल्लंघन पर दंडात्मक शुल्क	विलंब/चूक के अंतर्गत ऋण EMI/PEMI राशि पर देय तिथि के पश्चात विलंब/चूक की <b>आनुपातिक वास्तविक अवधि के लिए 24% प्रति वर्ष की दर से प्रभारित किया जाएगा</b> , साथ ही लागू GST भी जोड़ा जाएगा, गैर-संचयी (कारण यह है कि यह दर ऐसे ग्राहकों पर लागू औसत सामान्य ब्याज दर से दोगुनी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में भुगतान करने में किसी प्रकार का विलंब/चूक न हो)
वसूली (कानूनी/कब्जा और आकस्मिक प्रभार)	विभिन्न पक्षों/अधिकारियों/कानूनी सेवाओं को भुगतान की गई वास्तविक राशि के अनुसार प्लस लागू जीएसटी
सुरक्षा निर्माण के विलंब/निष्पादन पर दंडात्मक शुल्क	24% वार्षिक प्लस ऋण बकाया राशि पर लागू जीएसटी <b>विलंब के प्रति दिन 2500 रुपये (कारण बंधक ऋण प्राप्त करने के लिए संपत्ति पर सुरक्षा निर्माण को अनिवार्य आवश्यकता बनाना है)</b>
चेक/ईसीएस/डायरेक्ट डेबिट/एच स्वैपिंग (प्रति सेट)	₹.500/- + लागू जीएसटी
डुप्लीकेट नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट / आईटी प्रमाणपत्र	₹.500/- +लागू जीएसटी
संपत्ति कागजात की प्रति	₹.500/- + लागू जीएसटी
पूर्व भुगतान/आंशिक भुगतान शुल्क	प्रमाण के अनुसार किसी भी स्रोत से परिवर्तनीय/अस्थायी ब्याज दर पर गृह ऋण या निधियों के अपने स्रोत का उपयोग करके बंद किए गए निश्चित दर पर गृह ऋण के लिए - <b>कोई शुल्क नहीं</b> उपलब्ध कराए गए प्रमाण के अनुसार स्थायी दर पर गृह ऋण/ के लिए - बकाया ऋण का <b>3%</b> प्लस लागू जीएसटी (यदि पुनर्भुगतान निधियों के अपने स्रोत के माध्यम से नहीं किया जाता है, ) गैर-गृह ऋण (व्यावसायिक उद्देश्य के अलावा) के लिए परिवर्तनीय/अस्थायी ब्याज दर पर - <b>कोई शुल्क नहीं</b> गैर-गृह ऋण (व्यावसायिक उद्देश्य) के लिए परिवर्तनीय दर या निश्चित ब्याज दर पर - बकाया ऋण का <b>3%</b> प्लस लागू जीएसटी प्रोजेक्ट/बिल्डर ऋण के लिए - बकाया ऋण का <b>2%</b> प्लस लागू जीएसटी परियोजना ऋण - बकाया ऋण राशि का <b>2%</b> + लागू जीएसटी
दस्तावेज हैडलिंग शुल्क	₹.2000/- + लागू जीएसटी
किसी भी प्रकार का विवरण - खाते का विवरण (एसओए) / पुरोबंध विवरण / पुनर्भुगतान अनुसूची / दस्तावेज की सूची (एलओडी)	₹.500/- + लागू जीएसटी (प्रति स्टैटमेंट)
स्विच शुल्क (फिक्स्ड से फ्लोटिंग या इसके विपरीत) किसी भी मंजूरी शर्तों में आरओआई परिवर्तन/संशोधन के परिदृश्य को छोड़कर	बकाया ऋण राशि का 3% धन लागू जीएसटी सहित
पुनः प्रतिस्थापन शुल्क	देय ऋण राशि और अदत्त राशि (यदि कोई हो) के बकाया राशि का 0.50% + लागू जीएसटी
रूपांतरण शुल्क - परिवर्तनीय दर ऋण प्रति . में कम दर पर स्विच करें	रूपांतरण के समय मूल बकाया और असंबितरित राशि (यदि कोई हो) का 0.50%।
बीमा शुल्क	वास्तविक के अनुसार
संवितरण के बाद ऋण रद्दीकरण शुल्क, लेकिन ग्राहक द्वारा किसी भी देरी/अनुपालन न करने के कारण ऋण चेक प्राप्त से पहले (प्रति ऋण खाता)	10 लाख तक ऋण स्वीकृति के लिए - 3000/- रुपये 10 लाख - 25 लाख - ₹. 5000/- के बीच ऋण स्वीकृति के लिए 25 लाख से अधिक ऋण स्वीकृति के लिए - ₹ 10000/-
मूल संपत्ति दस्तावेजों को सौंपने में देरी के लिए मुआवजा	ऋण की पूरी अदायगी के 30 दिन बाद, यदि AHFL की ओर से किसी कारणवश देरी होती है, तो उधारकर्ताओं को प्रतिदिन 5000/- रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यदि उधारकर्ता की ओर से कोई देरी होती है, तो ऐसी अवधि को उपरोक्त अवधि की गणना से बाहर रखा जाएगा। खोए/गायब टाइटल डीड को पुनः प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 30 दिन प्रदान किए जाएंगे।

- यह आपके आवेदन की रसीद है। यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रारंभिक चर्चा या दस्तावेजों को आगे पूरा करने के लिए आप 5 से 6 दिनों के भीतर हमारे बिक्री कार्यकारी / शाखा से संपर्क कर सकते हैं
- सभी शुल्क/ प्रभार का भुगतान एएचएफएल शाखाओं/एएचएफएल प्रतिनिधियों के माध्यम से "आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में एकाउंट पेयी क्रॉसड चेक द्वारा किया जाना है। यदि भुगतान करने के लिए ऑनलाइन भुगतान मोड का चयन किया जाता है। एएचएफएल वेबसाइट का उपयोग करें या अपने एएचएफएल ऋण खाता संख्या के साथ संलग्न पेमेंट लिंक का उपयोग करें।
- ऋण आवेदन का निपटान विधिवत रूप से पूर्ण ऋण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा और वह भी सभी आवश्यक जानकारी / कागजात के साथ
- नकद भुगतान केवल एएचएफएल अधिकारियों द्वारा जारी वैध रसीद के आधार पर किया जाना है।
- एएचएफएल ऊपर उल्लिखित शुल्कों के अलावा कोई भी राशि नहीं लेता है और अनधिकृत व्यक्तियों, या किसी अन्य अनधिकृत पेमेंट लिंक/वेबसाइट या संदेश को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।
- लागू जीएसटी या सरकारी करों पर लागू शुल्कों के साथ अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा
- उपरोक्त नियम और शर्तों को हमें समझा/पढ़ा गया है और हम इसे स्वीकार करते हैं।
- ऋण आवेदन पर निर्णय लेने की समय सीमा आवेदन और आवश्यकताओं के अनुसार सभी पहलुओं में पूरा दस्तावेज जमा करने की तारीख से 30 दिन होगी। समय-सीमा में ग्राहक द्वारा आवेदन को संसाधित करने के लिए मांगी गई किसी स्पष्टीकरण/सूचना पर वापस आने में लगने वाले समय को शामिल नहीं किया जाएगा।
- उपरोक्त समय-सीमा में ग्राहक द्वारा संपत्ति के दस्तावेजों को सौंपने के लिए आवेदन को वापस करने या किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना को संसाधित करने में लगने वाले समय को शामिल नहीं है।

आवेदक

सह-आवेदक

(उधारकर्ता/ओं के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

**मुख्य तथ्य विवरण (एमआईटीसी का हिस्सा)**

**भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/प्रभार)**

1	ऋण प्रस्ताव/खाता सं.	.....	ऋण का प्रकार
2	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)		
3	संवितरण अनुसूची (i) चरणों में संवितरण या 100% अग्रिम। (ii) यदि यह चरणवार है, तो प्रासंगिक विवरण वाले ऋण समझौते के खंड का उल्लेख करें		
4	लोन की अवधि (वर्ष/महीने/दिन)		वर्ष/महीने
5	किश्त का विवरण		
	किश्त का प्रकार	EPI की संख्या	EPI (₹)
	.....	.....	.....
6	ब्याज दर (%) और प्रकार (फिक्स्ड या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)	<<ROI>> <<Fixed or Floating>>	
7	फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी		
	संदर्भ बेंचमार्क	बेंचमार्क दर (%) (बी)	स्प्रेड (%) (एस)
			अंतिम दर (%) R = (B) + (S)
			आवधिकता <sup>2</sup> रीसेट करें (महीने)
			संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव ('आर' में 25 बीपीएस परिवर्तन <sup>3</sup> के लिए, परिवर्तन:)
			B
			S
			EPI (₹)
			EPI की संख्या
			.....
8	शुल्क/प्रभार		
		AHFL (ए) को देय	AHFL (B) के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय
		एक बार/ आवर्ती	राशि (₹ में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो
		एक बार/आवर्ती	राशि (₹ में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो
(i)	प्रक्रमण फीस	MITC के अनुसार	MITC के अनुसार
(ii)	बीमा शुल्क	वास्तविक रूप में	वास्तविक रूप में
(iii)	मूल्यांकन शुल्क	MITC के अनुसार	MITC के अनुसार
(iv)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	MITC के अनुसार	MITC के अनुसार
9	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%) <sup>6</sup>	.....	
10	आकस्मिक शुल्क का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)		
(i)	विलंबित भुगतान के मामले में दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो	MITC के अनुसार	
(ii)	अन्य दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो	MITC के अनुसार	
(iii)	फौजदारी शुल्क, यदि लागू हो	MITC के अनुसार	
(iv)	फ्लोटिंग से फिक्स्ड दर पर ऋण स्विच करने तथा इसके विपरीत शुल्क	MITC के अनुसार	
(v)	कोई अन्य शुल्क (कृपया बताएं)	MITC के अनुसार	

**भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)**

1	वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण समझौते का खंड	एमआईटीसी का पेज नं.-40, पैरा-13
2	शिकायत निवारण तंत्र के विवरण के साथ ऋण समझौते का खंड	एमआईटीसी का पेज क्रमांक-41, पैरा-16
3	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी	No. 180030042020 grievanceredressal.officer@aadharhousing.Com
4	क्या ऋण अन्य बैंक में हस्तांतरण या प्रतिभूतिकरण के अधीन है या भविष्य में हो सकता है (हां/नहीं)	Yes
5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-ऋण/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	
	मूल RE का नाम, साथ ही उसका वित्तपोषण अनुपात	साझेदार RE का नाम तथा उसके वित्तपोषण का अनुपात
		मिश्रित ब्याज दर
	अंतिम रूप दिया जाना एवं सूचित किया जाना	अंतिम रूप दिया जाना एवं सूचित किया जाना
6	डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	
	(i) आरई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार क्लिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	लागू नहीं
	(ii) वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले तथा उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	लागू नहीं

संलग्न अनुलग्नक - बी - खुदरा ऋण के लिए एपीआर की गणना के लिए चित्रण  
अनुलग्नक - सी - ऋण की समान आवधिक किस्त के तहत पुनर्भुगतान अनुसूची

आवेदक

सह-आवेदक

(उधारकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

उधारकर्ताओं के हस्ताक्षर

1) .....

2) .....